न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 04 / 2013 / (2013 / 00057) जिला–अजमेर

शायर सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह, जाति राजपूत निवासी बांसड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

–––अपीलांट

बनाम

1. श्रवण पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल, जाति जाट निवासी ग्राम थल, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. नारायण पुत्र बालू जाति जाट, निवासी ग्राम थल, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. गफूर खां पुत्र बोदू खां, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम थल, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. शिवपाल सिंह पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत, निवासी बांसड़ा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. सज्जन सिंह पुत्र नाहर सिंह, जाति राजपूत निवासी बांसड़ा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर।

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ दिनांक 16–04–2012
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 102 / 2011
बउनवान श्रवण बनाम नारायण व अन्य

————

उपस्थित–
1. श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सोहनपाल सिंह चौधरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1
3. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः– 28.06.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात

खसरा नम्बर 21, 22, 23, 24 व 29 कुल किता 5 रकबा 18–09–00 बीघा भूमि ग्राम थल तहसील किशनगढ में स्थित है, उसकी खातेदारी से चिपती हुई रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 28 है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 25 व 27 उसकी भूमि से चिपते हुए है तथा अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 लगायत 5 की भूमि खसरा नम्बर 32/1/2 उसकी खातेदारी भूमि से चिपते हुए अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट के मध्य सीमा विवाद होने के कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्थरगढ़ी करवाने हेतु धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र बिना किसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाये एवं विवादग्रस्त आराजियात का मौका रिपोर्ट तलब किये बिना तथा बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये उभय पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 16–4–2012 द्वारा स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की भूमि के मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिशनर नियुक्त करते हुए पत्थरगढ़ी करने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के आदेश दिनांक 16–4–2012 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी भारतीय सेना में कार्यरत है तथा जयपुर में निवास करता है तथा छुटटी मिलने पर अपने गांव बांसड़ा में आता है। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के आदेश की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। प्रार्थी हाल ही नवम्बर में छुट्टी लेकर आया तब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की भूमि में जबरन माठ कायम करने की कोशिश की गई। प्रार्थी द्वारा मना करने पर उक्त आदेश का हवाला देते हुए जबरन फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तब प्रार्थी ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा उक्त आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थी ने दिनांक 5–12–2012 को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने हेत प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त आदेश की प्रति दिनांक 6.12.2012 को प्राप्त हुई। प्रार्थी दिनांक 8–12–2012 व 9–12–2012 को राजकीय अवकाश होने के कारण 10–12–2012 को उक्त अपील तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

जवाबुल जवाब में अपीलांट की मियाद बिन्दु की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट भारतीय सेना में कार्यरत है या नहीं तथा जयपुर में निवास करता है या नहीं इस तथ्य को स्वयं साबित करे। शेष सभी तथ्य अपीलांट द्वारा मनगढंत व झूंठे दर्ज किये गये है क्योंकि अपीलांट ने

यह नहीं बताया कि वह किस दिनांक को जयपुर छुट्टी पर आया एवं कितने दिन तक छुट्टियों पर रहा, इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट अपने अभिभाषक से कब एवं कहां मिला इसका भी उल्लेख नहीं है जबकि असली तथ्य यह है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया है एवं उसके अभिभाषक की बहस सुनकर ही वैधानिक तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–4–2012 पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही थी। इस कारण देरीना समय को माफ करने का सद्भाविक कारण नहीं है। अपीलांट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से 6 माह पश्चात मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट (गुणावगुण) पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की जांच नहीं की तथा न ही उभय पक्षों की साक्ष्य ली एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही आदेश पारित कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा सही तथ्यों को छिपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में अडौस–पडौस के खातेदार अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 लगायत 5 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की भूमि पर नाजायज कब्जा करने एवं सीमाओं को तोड़–फोड़ करने का कथन किया एवं इस कारण वाद हेतुक उत्पन्न होना बताया। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ही किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी था न कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र के तहत दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी ने विवादग्रस्त आराजियात के स्वत्व एवं मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में बिना आश्वस्त हुए ही ना केवल कोई साक्ष्य व मौका रिपोर्ट तलब किये एवं बिना विवेचन किये केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा दिये गये कथनों पर विश्वास करते हुए उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष जिसके लिए वह अधिकारी नहीं था, जारी कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 32/1/2 के चारो तरफ उसके पूर्वजों के समय से बाड़ लगी हुई है, बाड़ के अन्दर ही अपीलांट द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की भूमि खुली पड़ी हुई है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 पत्थरगढ़ी की आड़ में अपीलांट

की खातेदारी की भूमि में जबरन कब्जा करना चाहता है। अपीलांट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र का खण्डन जवाब के माध्यम से दिया था। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के लिए यह आवश्यक था कि वे विवादित भूमि के मौके व कब्जे की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाते हुए उसकी जांच कर उस पर आश्वस्त होने के पश्चात ही किसी प्रकार का आदेश पारित करना चाहिए था। उनके द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–4–2012 निरस्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 23 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 29 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम थल में स्थित है। उपरोक्त भूमियों से लगती हुई अपीलांट के साथ –साथ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 की भूमियां स्थित है तथा रेस्पोन्डेन्ट एवं अपीलांट तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 के मध्य आये दिन सीमा विवाद को लेकर विवाद होता रहता था। अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खेत की सीमाहों को जुताई करते समय तोड़ फोड़ करते रहते है तथा लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू रहते है। इस कारण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो। उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा विवादग्रस्त आराजियात की मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिशनर नियुक्त कर अपीलांट एवं रेस्पोन्ड्स की उपस्थिति में विवादग्रस्त आराजियात का नाप–चौक कर सीमाज्ञान कर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–4–2012 में दिये गये आदेशों की पालना में मौके पर पत्थरगढ़ी करवा दी गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी जवाबुल बहस में इसकी पुष्टि की गई है कि मौके पर पत्थरगढ़ी हो चुकी है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ) के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट श्रवण पुत्र स्व0 भंवरलाल द्वारा अपने स्वयं के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 23 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा

नम्बर 24 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 29 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा भूमि ग्राम थल में स्थित की सीमाओं की जानकारी की पुष्टि हेतु एवं जांच के संबंध में उस पर सीमांकन/पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान कराने की स्वतंत्रता है जो कि आस–पड़ौस की भूमि के खातेदारान को मौके पर सुनवाई का पूर्ण अवसर राजस्व अधिकारी द्वारा दिया जाना है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार, किशनगढ़ को कमिशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये गये जो कि कि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी सामलात पक्षकारान एवं पड़ौसियान की उपस्थिति में कराते हुए नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आशय का निर्देश तहसीलदार, किशनगढ को उक्त आदेश में दिया गया है। जो न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि पत्थरगढ़ी/सीमांकन जो सभी आस–पड़ौस के खातेदारान की उपस्थिति में सुनवाई करके किया जावेगा यदि फिर भी उक्त पत्थरगढ़ी/सीमांकन करने के पश्चात किसी भी पक्षकार को कोई उजर होगा तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं का कथन है कि आक्षेपित आदेश की पालना में मौके पर पत्थरगढ़ी करवा दी गई है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति हो जाने से आज की स्थिति में अपील स्वतः ही निष्प्रभावी हो गई है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ) का अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–4–2012 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 102/2011 बउनवान श्रवण बनाम नारायण व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर